

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2024—आषाढ़ 13, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. 9968—मप्रविस—16—विधान—2024.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक 98 सन् 2024

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

9. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2024 है.

संक्षिप्त नाम.

2. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 99 सन् 2009) में सर्वत्र, शब्द “कुलपति”, जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द “कुलगुरु” स्थापित किया जाए.

सर्वत्र मूल अधिनियम में
शब्द का स्थापन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 900वीं बैठक में "कुलपति" के पदनाम को "कुलगुरु" में परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा की गई. इसी अनुक्रम में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 97 सन् 2007) के हिन्दी संस्करण में पदनाम "कुलपति" के स्थान पर पदनाम "कुलगुरु" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख 9 जुलाई, 2024

इंदर सिंह परमार
भारसाथक सदस्य.